

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-3/शिकायात) विभाग

51105
23/7/19

क्रमांक प. 2(2)(29)का/क-3/शिका./17

जयपुर, दिनांक 18/7/19

D-8 II

18.7.19

आदेश

डॉ० पंकज गुप्ता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पंजीबद्ध अपराध सख्या 79/2017 में दण्डनीय अपराध के लिये प्रथम दृष्टया लिप्त पाये जाने पर दिनांक 18.12.18 को गिरफ्तार किया गया एवं डॉ० पंकज गुप्ता 48 घण्टे से अधिक पुलिस/न्यायिक हिरासत में रहे हैं।

अतः राज्य सरकार राज. सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ० पंकज गुप्ता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर को दिनांक 18.12.18 से निलम्बित माने जाने (Deemed to have been suspended) के एतद्वारा आदेश प्रदान करती है।

डॉ० पंकज गुप्ता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर का निलम्बन काल के दौरान मुख्यालय निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज० जयपुर के कार्यालय में रहेगा।

राज्यपाल महोदय के आदेश से,

(एस.एल. राय)
सयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर को डॉ० पंकज गुप्ता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर के निलम्बन आदेश की प्रति सलग्न कर निवेदन है कि कृपया उक्त निलम्बन आदेश डॉ० पंकज गुप्ता को सुपुर्द कराकर प्राप्ति रसीद सात दिवस में इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर।
6. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज० जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि डॉ० पंकज गुप्ता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर को निलम्बन हेतु रखी गई उपस्थिति पत्रिका में उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित करे एवं उन्हें यह भी निर्देश देवे कि वे अपना मुख्यालय आपकी पूर्व अनुमति के नहीं छोड़ें। इन्हें इनके अवकाश वेतन के बराबर उस सीमा तक यदि वे अर्द्धवेतन के अवकाश पर रहते के बराबर उन्हें निलम्बन काल में निर्वाह भत्ता एवं ऐसे वेतन पर अन्य भत्ते देय होंगे।
7. डॉ० पंकज गुप्ता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज० जयपुर जयपुर के कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ रखी गयी उपस्थिति पत्रिका में उपस्थिति अंकित करें। उन्हें यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वे निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज० जयपुर की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अपना मुख्यालय नहीं छोड़ें।
8. कार्मिक (क-1/गो.प्र.) विभाग।
9. कोषाधिकारी, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

(एस.एल. राय)

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- सीजी/सीएस/पी-273/2019/683

दिनांक : 7/8/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक (क-3/शिका) विभाग, राज0 जयपुर के आदेश क्रमांक प. 2(02)(29)का/क-3/शिका/2017 दिनांक 18.07.2019 के क्रम में।
- 2 शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग, राज जयपुर, को उनके पत्र क्रमांक पं 3(7)चिस्वा/2/2019पार्ट दिनांक 29.07.2019 के क्रम में।
- 3 संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर।
- 4 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर को भेजकर लेख है कि कार्मिक विभाग के निलम्बित आदेश दिनांक 18.07.2019 डॉ0 पकज गुप्ता, तत्का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर को अपने स्तर से तामील करवा कर तामील रसीद भिजवाते हुये चिकित्सक को निर्देशित करावे कि निलम्बित कागज मे निदेशालय मुख्यालय जयपुर मे उपस्थिति प्रतिवदेन प्रस्तुत करें।
- 5 डॉ0 पकज गुप्ता, तत्का, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर द्वारा नियंत्रण अधिकारी। आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
- 6 अति0 प्रशासनिक अधिकारी, राजपत्रित सरस्थापन/डीपीसी/एटीसी, अनुभाग, मुख्यालय। प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईड पर आज ही अपलोड करावे।
- 8 आदेश/रक्षित पत्रावली।

अति0:निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।